

सोशल मीडिया सेल परिक्षेत्र आजमगढ़

PRESS NOTE RANGE AZAMGARH

जनपद- आजमगढ़/मऊ/बलिया प्रेस-विज्ञप्ति दिनांक 14.05.2025

जनपद आजमगढ़

01. थाना सिधारी

सर्राफा की दुकान पर हुई चोरी की घटना का सफल अनावरण, चोरी गये आभूषण (कीमत लगभग 3.5 लाख रुपये) व नकदी के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार।

पूर्व की घटना का संक्षिप्त विवरण:-

➡ दिनांक 18.04.2025 को वादी संजय दूबे पुत्र स्व० जनार्दन दूबे सा० पल्हनी थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना सिधारी पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि अज्ञात चोर द्वारा वादी के मिठाई की दुकान व कपड़े की दुकान व किराये पर चल रहे तरुण वर्मा की सर्राफा की दुकान व बगल में प्रमोद राजभर की कास्मेटिक की दुकान तथा 100 मीटर की दूरी पर दिलीप सोनी के सर्राफा की दुकान का ताला तोड़कर मु० 13,800/- रुपये नगद तथा सोनें चांदी का सामान (मशरू का दरियाफ्त तलब) चुरा ले गये। जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं०- 173/2025 धारा331(4)/305 बी०एन०एस० बनाम अज्ञात के पंजीकृत किया गया।

पूछताछ कर विवरण:-

➡ गिरफ्तार अभियुक्त उमा देवी पत्नी रमेश ग्राम रहिला (तितिलियापार)थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 35 वर्ष द्वारा बताया गया मैं तथा मेरा साथी सिधू चौहान पुत्र हरिश्चन्द्र चौहान निवासी चलिसवां थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ मिलकर चोरी करते हैं। यह सामान हम लोगों ने दिनांक 18/4/2025 की रात में हुसैनगंज तिराहे पर सुनार व उसके बगल में मिठाई की दुकान व कास्मेटिक की दुकान से चोरी किये थे। मैं तथा सिधू आपस में परिचित हैं तथा दोनो मिलकर चोरी का काम करते हैं। दिनांक 18/04/2025 को मैं तथा सिधू रात में आटो से हुसैनगंज आये, मैं रोड पर खड़ी थी, वह पहले हुसैनगंज तिराहे पर एक सुनार की दुकान का सटर का ताला तोड़कर चोरी किया जिसमें कुछ चांदी मिला था जिसको लेकर मैं रोड पर खड़ी थी, फिर सिधू हुसैनगंज तिराहे के बगल में थोड़ी दूरी पर जाकर मिठाई की दुकान में चोरी किया तथा उसी के बगल में कास्मेटिक की दुकान का सटर का ताला तोड़कर चोरी किया तथा उसके पास ही कपड़े की दुकान में भी चोरी किया तथा बगल के सुनार के दुकान का सटर का ताला तोड़कर अन्दर घुसकर आलमारी में रखे गहने चुराये। मैं मौके पर ही मौजूद थी, मैं रास्ता भी देख रही थी कि कोई आ तो नहीं रहा है लेकिन संयोग अच्छा था कि कोई नहीं आया। चोरी में मिठाई व कपड़े की दुकान से लगभग 11000 रुपये व कास्मेटिक की दुकान से 2000 रुपये, कुल लगभग 13000 रुपये मिले थे। उसके बाद मैं तथा सिधू गहने लेकर पल्हनी की तरफ चले गये। उसके बाद हम लोग मेरे घर पर चले गये। चोरी किये गये गहने में से पहले दुकान से चोरी किये गये चांदी व दूसरे सुनार के दुकान से चुराये गये गहनों में से कुछ गहने सिधू लेकर कहीं बाहर चला गया तथा शेष सोना व चांदी तथा पैसा मेरे पास था। मैं यह गहने जो आप पकड़े हैं को लेकर बेचने की नियत से निकली थी कि आपने पकड़ लिया। यह गहना तथा रुपया सभी उसी चोरी में मिले थे। मैं यहां पर आटो का इन्तजार कर रही थी कि आपने मुझे पकड़ लिया। मैं सिधू के बहकावे में आकर चोरी कर लिया। साहव मैं अब कभी भी गलती नहीं करूंगी।

गिरफ्तारी का विवरण -

आज दिनांक- 13.05.2025 को उ0नि0 मो0 जावेद सिद्दीकी मय हमराह को सूचना मिली कि एक महिला मेहनगर को जाने वाली मार्ग पर हलुआडीह पेट्रोल पंप से कुछ दुरी पर खड़ी है तथा उसके पास चोरी का सामान है तथा वह उसे कहीं बेचने की फिराक में जा रही है। इस सूचना पर विश्वास कर सभी पुलिस वाले मुखबिर के बताये स्थान पर पहुंच कर मुखबिर के निशा देही पर हलुआडीह पेट्रोल पंप के पास से अभियुक्त उमा देवी पत्नी रमेश निवासिनी रहिला थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 35 वर्ष को पकड़ लिया गया। जिसके कब्जे से पाजेब सफेद धातु 01 जोड़ी, पायल सफेद धातु - 02 जोड़ी, बिछिया सफेद धातु -02 जोड़ी, बिछिया सफेद धातु तीन अंगुली वाली- 01 जोड़ी, अंगुठी सफेद धातु 03 अदद, सिक्का सफेद धातु -01 अदद, बचकानी कडा सफेद धातु 01 जोड़ी, कमरबंद सफेद धातु 01 अदद, हाथ पलानी सफेद धातु 02 जोड़ी, पीली धातु कुण्डा लाकेट -08 अदद, पीली धातु डबल कुण्डा लाकेट 02 अदद, पीली धातु सुई धागा -02 जोड़ी, पीली धातु छोटी बाली 05 जोड़ी, पीली धातु बुन्दा -06 जोड़ी, पाली धातु लाकेट छोटा -06 अदद व 12500 रुपये नगद बरामद हुआ।

➡ गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान उमा देवी पत्नी रमेश निवासिनी रहिला (तितिलियापार) थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 35 वर्ष के रूप में हुई अभियुक्त को समय लगभग 04.30 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया।

➡ गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से पाजेब सफेद धातु 01 जोड़ी, पायल सफेद धातु - 02 जोड़ी, बिछिया सफेद धातु -02 जोड़ी, बिछिया सफेद धातु तीन अंगुली वाली- 01 जोड़ी, अंगुठी सफेद धातु 03 अदद, सिक्का सफेद धातु -01 अदद, बचकानी कडा सफेद धातु 01 जोड़ी, कमरबंद सफेद धातु 01 अदद, हाथ पलानी सफेद धातु 02 जोड़ी, पीली धातु कुण्डा लाकेट -08 अदद, पीली धातु डबल कुण्डा लाकेट 02 अदद, पीली धातु सुई धागा -02 जोड़ी, पीली धातु छोटी बाली 05 जोड़ी, पीली धातु बुन्दा -06 जोड़ी व पाली धातु लाकेट छोटा -06 अदद व 12500 रुपये नगद बरामद हुआ।

पंजीकृत अभियोग:-

1-मु0अ0सं0- 173/2025 धारा331(4)/305 बी0एन0एस0 थाना सिधारी आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त:-

* उमा देवी पत्नी रमेश निवासिनी रहिला (तितिलियापार) थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 35 वर्ष*

1.मु0अ0सं0- 221/2023 धारा 380/411/457 भादवि थाना फूलपुर आजमगढ़

2. मु0अ0सं0- 284/2023 धारा 380/411/414/457 भादवि थाना मुबारकपुर आजमगढ़

2. मु0अ0सं0 - 173/2025 धारा331(4)/305/317(2)बी0एन0एस0 थाना सिधारी आजमगढ़

वांछित/फरार अभियुक्त का विवरण:-

सिद्धू चौहान पुत्र हरिश्चन्द्र चौहान निवासी चलिसवां थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ

1.मु0अ0सं0- 1029/09 धारा 380/411 भादवि थाना मेहनगर आजमगढ़

2.मु0अ0सं0- 474/17 धारा 380/411/457 भादवि थाना कोतवाली आजमगढ़

3.मु0अ0सं0- 10/21 धारा 380/411/457 भादवि थाना निजामाबाद आजमगढ़

4.मु0अ0सं0- 22/21 धारा 380/411/457 भादवि थाना निजामाबाद आजमगढ़

5.मु0अ0सं0- 27/21 धारा 401/411 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना निजामाबाद आजमगढ़

6.मु0अ0सं0- 284/23 धारा 380/411/414/457 भादवि थाना मुबारकपुर आजमगढ़

7.मु0अ0सं0- 161/17 धारा 380/411/457 भादवि थाना रानी की सराय आजमगढ़

8.मु0अ0सं0- 256/17 धारा 379/411/419/420/468/471 भादवि थाना रानी की सराय आजमगढ़

9.मु0अ0सं0- 338/22 धारा 380/411 भादवि थाना सिधारी आजमगढ़

10.मु0अ0सं0- 495/15 धारा 401 थाना जीआरपी चारबाग लखनऊ

11.मु0अ0सं0- 15/24 धारा 379/411 भादवि थाना गोसाईगंज जनपद लखनऊ

- 12.मु0अ0सं0- 26/24 धारा 380/411/457 भादवि थाना गोसाईगंज लखनऊ
- 13.मु0अ0सं0- 431/22 धारा 379/411/416 भादवि थाना कोतवाली आजमगढ़
- 14.मु0अ0सं0- 221/23 धारा 380/411/457 भादवि थाना फूलपुर आजमगढ़
- 15.मु0अ0सं0- 273/22 धारा 380/411/457 भादवि थाना मुबारकपुर आजमगढ़
- 16.मु0अ0सं0- 278/22 धारा 411/413/420/465 भादवि थाना मुबारकपुर आजमगढ़
- 17.मु0अ0सं0- 279/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मुबारकपुर आजमगढ़
- 18.मु0अ0सं0- 05/18 धारा 379/411/420 भादवि थाना सिधारी आजमगढ़
- 19.मु0अ0सं0- 152/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सिधारी आजमगढ़
- 20.मु0अ0सं0- 144/24 धारा 457/380/411 भादविथाना सिधारी आजमगढ़
- 21.मु0अ0सं0 149/24 धारा 380/411 भादवि थाना सिधारी आजमगढ़
- 22.मु0अ0सं0-150/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सिधारी आजमगढ़
- 23.मु0अ0सं0- 426/24 धारा 324(4)/303(2) बी0एन0एस0थाना सिधारी आजमगढ़
- 24.मु0अ0सं0- 299/24 धारा 305/317(2)/331(4) बी0एन0एस0 थाना रानी की सराय आजमगढ़
- 25.मु0अ0सं0- 354/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना जीयनपुर आजमगढ़
- 26.मु0अ0सं0- 329/24 धारा 305/317(2)/331(4) बी0एन0एस0थाना जीयनपुर आजमगढ़
- 27.मु0अ0सं0- 374/24 धारा 305(ए)/317(2)/331(4) बी0एन0एस0 थाना रानी की सराय आजमगढ़
- 28.मु0अ0सं0- 160/21 धारा 380/411/457 भादवि थाना निजामाबाद आजमगढ़
- 29.मु0अ0सं0- 295/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मुबारकपुर आजमगढ़
30. मु0अ0सं0 - 173/2025 धारा331(4)/305/317(2)बी0एन0एस0 थाना सिधारी आजमगढ़

बरामदगी:- (कीमत लगभग 3.5 लाख रुपये)

1. 01 जोड़ी पाजेब सफेद धातु ,
2. 02 जोड़ी पायल सफेद धातु,
3. 02 जोड़ी बिछिया सफेद धातु,
4. 01 जोड़ी बिछिया सफेद धातु तीन अंगुली वाली
5. 03 अंगूठी सफेद धातु
6. 01 अदद सिक्का सफेद धातु
7. 01 जोड़ी बचकानी कड़ा सफेद धातु
8. 01 अदद कमरबंद सफेद धातु
9. 02 जोड़ी हाथ पलानी सफेद धातु
10. 08 अदद कुण्डा लाकेट पीली धातु
11. 02 अदद डबल कुण्डा लाकेट पीली धातु
12. 02 जोड़ी सूई धागा पीली धातु
13. 05 जोड़ी छोली बाली पीली धातु
14. 06 जोड़ी बुन्दा पीली धातु
15. 06 अदद छोटा लाकेट पीली धातु
16. 12500/- रुपया नगद

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

- 1.उ0नि0 मो0 जावेद सिद्दीकी थाना सिधारी आजमगढ़

2. उ०नि० मु० सैफ थाना सिधारी आजमगढ़
3. का० मुकुन्द लाल मिश्र थाना सिधारी आजमगढ़
4. का० सद्दाम हुसैन अंसारी थाना सिधारी आजमगढ़
5. म०का० नीतू तिवारी थाना सिधारी आजमगढ़

02. दिनांक 13.05.2025 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा सन् 2023 में जनपद आजमगढ़ के पवई थाना क्षेत्र के रहने वाले एक 16 वर्षीय किशोर को इंस्टाग्राम आईडी को ट्रेस करते हुए जनपद मोरबी (गुजरात) से बरामद कर उनके परिजनों से मिलाया गया हैं।

घटना क्रम-

अवगत कराना है कि दिनांक 03.09.2023 को वादी मुकदमा धीरज सिंह पुत्र स्व० शशिकांत सिंह नि० सुम्हाडीह थाना पवई जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना पवई पर शिकायत किया गया कि वादी के मामा इन्द्र कुमार सिंह का लड़का उम्र करीब 14 वर्ष दिनांक 30.08.2023 को घर पर बिना किसी से बताए कहीं चला गया है, जिसके आधार पर थाना पवई पर मु०अ०सं० 279/23 धारा 363 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत कर विवेचना थाना पवई से सम्पादित की जा रही थी। परन्तु पीड़ित/अपहृत सोनू सिंह उपरोक्त की बरामदगी न हो सकी। तत्पश्चात वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा उक्त अभियोग की विवेचना थाना ए०एच०टी० जनपद आजमगढ़ को सुपुर्द की गयी।

बरामदगी का विवरण –

आज दिनांक- 13.05.2025 को प्रभारी निरीक्षक अभयराज मिश्रा थाना ए०एच०टी० के कुशल नेतृत्व में उ०नि० बेचू प्रसाद यादव मय हमराह का० आशीष प्रताप सिंह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित पीड़ित/अपहृत सोनू सिंह पुत्र इन्द्रकुमार सिंह नि० छताई थाना शाहगंज जनपद जौनपुर हालपता- सुम्हाडीह थाना पवई जनपद आजमगढ़ को गुमशुदा के इंस्टाग्राम आईडी को ट्रेस करते हुए कस्बा राजपर थाना मोरबी तालुक जनपद मोरबी (गुजरात) जाकर बरामद किया गया। मुकदमा पंजीकृत होने के समय पीड़ित/अपहृत सोनू सिंह उपरोक्त 14 वर्ष का था।

पंजीकृत अभियोग –

1- मु०अ०सं० 279/23 धारा 363 भादवि थाना पवई जनपद आजमगढ़।

बरामद किशोर का विवरण-

1- सोनू सिंह पुत्र इन्द्रकुमार सिंह नि० छताई थाना शाहगंज जनपद जौनपुर हालपता- सुम्हाडीह थाना पवई जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 16 वर्ष।

बरामद करने वाली पुलिस टीम-

1-प्रभारी निरीक्षक अभयराज मिश्रा, उ०नि० बेचू प्रसाद यादव, का० आशीष प्रताप सिंह, थाना ए०एच०टी० जनपद आजमगढ़, हे०का० संजय कुमार सर्विलांस सेल आजमगढ़।

*"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 04 आरोपी अभियुक्तगण को मा० न्यायालय द्वारा पवई चौराहे पर टेंट लगाकर मार्ग को अवरुद्ध करके आम जनता के आवागमन के में बाँधा पहुँचाने व प्रशासनिक कार्य में बाँधा उत्पन्न करने के आरोप में दोषी करार देते हुए प्रत्येक को 03-03 माह के कारवास व 1300-1300/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

03. थाना पवई में पंजीकृत अपराध जिसमें पवई चौराहे पर टेंट लगाकर मार्ग को अवरुद्ध करके आम जनता के आवागमन के में बाँधा पहुँचाने व प्रशासनिक कार्य में बाँधा उत्पन्न करने वाले IS-133 गैंग के लीडर जनपद स्तर पर चिन्हित माफिया रमाकांत यादव सहित 04 आरोपी अभियुक्त को 03-03 माह के कारवास व 1300-1300/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

➡ दिनांक- 06.04.2006 को वादी मुकदमा तत्कालीन थानाध्यक्ष पवई मूलचन्द चौरसिया थाने पर लिखित तहरीर दी कि दिनांक- 05.04.2006 को समय करीब 07.00 बजे सुबह रमाकान्त यादव (पूर्व सांसद सदर जनपद आजमगढ़) अपने दो, ढाई सौ समर्थकों के साथ 5-7 असलहों से लैस होकर अपने समर्थकों डा0 राधेश्याम सिंह, दयाराम भाष्कर, रामकिशुन राजभर त्रिवेणी वर्मा, रामफल मौर्या आदि लोगों के साथ पवई चौराहे पर टेन्ट लगाकर कलान- आजमगढ़ व मित्तूपुर – आजमगढ़ मार्ग को पूर्णतया अवरुद्ध कर दिये थे जिससे आम जनता के आवागमन में काफी परेशानी उत्पन्न हो गयी तथा प्रशासनिक कार्य में बाँधा पहुँची।

➡ अभियुक्तों के विरुद्ध थाना पवई पर मु0अ0सं0- 87/2006 धारा-341,143 भादवि पंजीकृत किया गया।

➡ अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।

➡ मुकदमा उपरोक्त में 03 गवाह परीक्षित हुए हैं।

➡ जिसके क्रम में दिनांक- 13.05.2025 को मा0 न्यायालय सिविल जज सिनियर डिविजन/MP-MLA कोर्ट आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित IS-133 गैंग के लीडर जनपद स्तर पर चिन्हित माफिया अभियुक्त 1. रमाकान्त यादव पुत्र श्रीपति यादव निवासी सरांवा, थाना दीदारगंज, आजमगढ़ (पूर्व सांसद सदर आजमगढ़), 2. दयाराम भाष्कर पुत्र भरत भाष्कर निवासी मैनुद्दीनपुर, थाना पवई, आजमगढ़ 3. रामकिशुन राजभर पुत्र मल्लू राजभर निवासी गद्दोपुर, थाना पवई, आजमगढ़, 4. रामकृपाल पुत्र रामबली निवासी बस्ती चक गुलरा, थाना पवई, जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए प्रत्येक को 03-03 माह के कारवास व 1300-1300/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

जनपद –मऊ

1. गुमशुदा/खोए कुल एक मोबाइल फोन लगभग 35,000 (पैंतिस हजार) रुपये कीमती बरामद कर उनके स्वामी को किया गया सुपुर्द-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना हलधरपुर साइबर टीम द्वारा थाना स्थानीय पर दर्ज गुमशुदगी को सीईआईआर पोर्टल के माध्यम से गुमशुदा मोबाइल धारको का थाना स्थानीय पर नियुक्त साइबर टीम द्वारा थाना हलधरपुर में गुमशुदा एक मोबाइल लगभग 35,000 (पैंतिस हजार) रुपये कीमती को बरामद कर उनके स्वामी को सुपुर्द किया गया। जिसमें अरविन्द कुमार पुत्र झुम्मन राम निवासी इटैली थाना हलधरपुर जनपद मऊ। आवेदक द्वारा उच्चाधिकारियों व थाना हलधरपुर के अधिकारी/ कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया।

बरामदकर्ता पुलिस टीम-

प्रभारी निरीक्षक श्री जगदीश प्रसाद विश्वकर्मा थाना हलधरपुर, क0आ0 नूपुर खरे थाना हलधरपुर जनपद मऊ।

2. आवेदक के लडके फोन कर फर्जी मुकदमें में फसाने के नाम पर मंगाये गये कुल धनराशि 27000/- रुपये थाना चिरैयाकोट साइबर पुलिस टीम द्वारा वापस कराया गया-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में साइबर अपराध के माध्यम से ऑनलाइन ठगी गयी धनराशि वापस दिलाने व साइबर अपराध पर प्रभावी कार्यवाही के परिप्रेक्ष्य में थाना चिरैयाकोट साइबर पुलिस टीम द्वारा सार्थक प्रयास करते हुए आवेदक के लडके फोन कर फर्जी मुकदमें में फसाने के नाम पर मंगाये गये कुल धनराशि 27000/- रुपये, पीडित मोहित गुप्ता निवासी थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ के कुल धनराशि 27000/- रुपये की सम्पूर्ण धनराशि अथक परिश्रम कर उनके खाते में वापस कराया गया। आवेदक द्वारा उच्चाधिकारियों व थाना चिरैयाकोट के अधिकारी/कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया। साइबर अपराध किसी के साथ और किसी भी प्रकार से घटित हो सकता है। बस जागरूक रहकर ही साइबर अपराध से बचा जा सकता है।

बरामदकर्ता पुलिस टीम-

प्रभारी निरीक्षक श्री योगेश यादव, नोडल अधिकारी उ0नि0 श्री गिरधर सिंह, क0आ0 श्री नौशाद अहमद ,म0आ0 प्राची पाण्डेय थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ ।

जनपद – बलिया

1. श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय बलिया श्री ओमवीर सिंह के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण के लिये चलाये जा रहे अभियान में श्रीमान् अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी बलिया श्री कृपा शंकर के कुशल पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री श्यामकान्त के कुशल नेतृत्व में थाना कोतवाली पुलिस टीम को मिली सफलता ।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 10.05.2025 समय 19.59 बजे श्रीमती माया देवी पत्नी देवेन्द्र कुमार द्वारा अपने पति देवेन्द्र कुमार की गुमशुदगी दर्ज करायी गयी थी तथा दिनांक 12.05.2025 को माया देवी की पुत्री अम्बली गौतम द्वारा अपने पिता देवेन्द्र कुमार के हत्या अपनी माँ माया देवी व उसके सहयोगी अनिल यादव आदि के विरुद्ध प्रार्थना पत्र देकर थाना स्थानीय पर मु०अ०स० 181/2025 धारा 103(1) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत कराया गया है । मुकदमा के आधार पर अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम बनाकर लगातार प्रयास किया जा रहा था कि दिनांक 12.05.2025 को प्रभारी निरीक्षक श्री योगेन्द्र बहादुर सिंह मय हमराह थाना टीम द्वारा महिला अभियुक्त माया देवी पत्नी देवेन्द्र कुमार निवासी हरीपुर खडसरा थाना खेजुरी हाल निवासी बहादुरपुर थाना कोतवाली जनपद बलिया की तलाश करते हुए मौके पर आया । पूछताछ करने पर अभियुक्ता द्वारा जुर्म स्वीकार करते हुए अपने पति देवेन्द्र कुमार की हत्या कर उसके शरीर के विभिन्न अंगों को अपने सहयोगियों के साथ छिपाने की बात बतायी इसी क्रम में महिला अभियुक्ता माया देवी व मिथिलेश पटेल की निशानदेही पर मृतक देवेन्द्र कुमार का धड़ खरीद दरौली के सीवान स्थित कुंआ से बरामद किया गया । तथा इनके द्वारा यह भी स्वीकार किया गया कि शव के अन्य अंग (हाथ व पैर) खरीद दरौली सीवान में एक बाग में फेक दिया गया था जिसे थाना सिकन्दरपुर पुलिस द्वारा दिनांक 11.05.2025 को बरामद किया गया था । महिला अभियुक्ता द्वारा उपरोक्त घटना कारित करने में अनिल यादव पुत्र सरल यादव, मिथिलेश पटेल पुत्र मनीष कुमार, सतीश यादव पुत्र रामाकान्त यादव उपरोक्त का सहयोग कर उक्त घटना कारित करना बताया । महिला अभियुक्ता माया देवी पत्नी देवेन्द्र कुमार हाल मुकाम बहादुरपुर को समय 18.10 बजे तथा अभियुक्त मिथिलेश पटेल पुत्र मनीष कुमार सा० बालुपुर थाना खेजुरी जनपद बलिया को हत्या करके शव को छिपाने में प्रयोग किया गया वाहन नं० यूपी 85 टी 6727 के साथ समय 19.40 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया । तथा शेष अभियुक्त अनिल यादव पुत्र सरल यादव निवासी खरीद सा० सिकन्दरपुर थाना सिकन्दरपुर जनपद बलिया व सतीश यादव पुत्र रमाकान्त यादव निवासी चानू पाकड़ थाना मनियर जनपद बलिया द्वारा पुलिस टीम पर चेकिंग के दौरान टाउन पालिटेक्निक परखुरा जेल के पीछे बहादुरपुर असलहे से जानलेवा हमला किया गया जिसमे पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ कार्यवाही के दौरान अभियुक्त अनिल यादव उपरोक्त पैर में गोली लगने से घायल हो गया है, जिसके कब्जे से एक अदद तमंचा 315 बोर मय एक अदद खोखा कारतूस व एक अदद जिन्दा कारतूस बरामद किया गया। अभियुक्त को इलाज हेतु जिला अस्पताल भेजा गया है । तथा अभियुक्त सतीश यादव उपरोक्त को मय एक अदद संदिग्ध मो०सा० स्प्लेन्डर जिस पर यू०पी० 54 एके 8219 का नम्बर प्लेट लगा हुआ है के साथ गिरफ्तार किया गया। तथा हत्या में प्रयुक्त आला कतल की बरामदगी की गई। थाना स्थानीय से अन्य आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है।

पंजीकृत अभियोग-

मु०अ०स०- 181/2025 धारा 103(1)/238 बीएनएस थाना कोतवाली जनपद बलिया

दिनांक 12.05.2025 को गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1. माया देवी पत्नी स्व० देवेन्द्र कुमार निवासी हरीपुर खडसरा थाना खेजुरी हाल निवासी बहादुरपुर रैन बसेरा के पीछे थाना कोतवाली जनपद बलिया उम्र करीब 44 वर्ष (दिनांक 12.05.2025 समय 18.10)

2. मिथिलेश पटेल पुत्र मनीष कुमार निवासी बालुपुर थाना खेजुरी जनपद बलिया उम्र करीब 19 वर्ष (दिनांक 12.05.2025 समय 19.40)

दिनांक 13.05.2025 को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण

1. अनिल यादव पुत्र सरल यादव निवासी खरीद सा० सिकन्दरपुर थाना सिकन्दरपुर जनपद बलिया उम्र करीब 23 वर्ष
2. सतीश यादव पुत्र रमाकान्त यादव निवासी चानू पाकड़ थाना मनियर जनपद बलिया उम्र करीब 22 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

1. हत्या में प्रयुक्त बोलेरो वाहन नं० यूपी 85 टी 6727 (अभि० मिथिलेश से)
2. आला कतल दो अदद दाव (अभि० अनिल यादव, सतीश यादव से)
3. एक अदद तमंचा 315 बोर (अभि० अनिल यादव से)
4. एक अदद कारतूस 315 बोर जिन्दा व एक अदद खोखा (अभि० अनिल यादव से)
5. एक अदद संदिग्ध मोटर साईकिल (अभि० अनिल यादव, सतीश यादव से)

2.थाना सुखपुरा जनपद बलिया पुलिस द्वारा अपहृत/ गुमशुदा की सकुशल हुई वापसी/ बरामदगी।

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक बलिया श्री ओमवीर सिंह के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के रोकथाम व धर पकड़/ गिरफ्तारी, तलाश वांछित अभियुक्त व बरामदगी अपहृत/गुमशुदा हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान् अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी श्री कृपा शंकर के निकट पर्यवेक्षण, क्षेत्राधिकारी नगर श्री श्यामकान्त व प्रभारी निरीक्षक श्री सुशील कुमार दूबे के कुशल नेतृत्व में थाना सुखपुरा पुलिस टीम का गठन किया गया था।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 04.05.2025 को थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु०अ०सं० 111/2025 धारा 191(2), 191(3), 115(2), 351(3), 140(3) बी.एन.एस. बनाम 1. चन्द्रमा यादव पुत्र स्व० विश्वनाथ यादव आदि निवासी ग्राम घोसवटी थाना सुखपुरा जनपद बलिया से सम्बन्धित अपहृत की तलाश हेतु श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद बलिया द्वारा टीम का गठन किया गया था। अपहृत अजय कुमार तिवारी की बरामदगी हेतु जगह जगह के सी.सी.टी.वी. फुटेज व इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पतारसी सुरागरसी की जा रही थी कि इसी क्रम में दिनांक 12.05.2025 को सायं काल के समय में अपहृत श्री अजय कुमार तिवारी उपरोक्त पुलिस कार्यालय जनपद बलिया में स्वयं उपस्थित हुए, जहाँ पर उनके द्वारा स्पष्ट रूप से बताया गया कि मेरा कोई अपहरण नहीं हुआ था मैं स्वयं से चला गया था और आज यहां स्वयं से उपस्थित हो गया हूँ। अजय कुमार तिवारी द्वारा बताया गया कि दिनांक 30.04.2025 को मेरे लड़के महामृत्युंजय तिवारी व मेरे परिजनों के साथ हुई मारपीट की घटना के सम्बन्ध में थाना सुखपुरा पर मुकदमा भी पंजीकृत है चूंकि एक गांव में रहने के चलते विपक्षियों द्वारा की जाने वाली मारपीट से मैं व्यथित था जिसके कारण मैं दिनांक 03/04.05.2025 की रात्रि में समय करीब एक से दो बजे के बीच में अपनी पत्नी को बता कर मैं घर से निकल गया था। मैं घर से निकल कर पैदल ही खेत के रास्ते होते हुए बरवाँ से बलिया होते हुए गंगा जी के किनारे होता हुआ जमनिया चन्दौली बार्डर तक चला गया और बीच बीच में मुझे कहीं कोई खाना दे देता था तो मैं वही खा लेता था। दिनांक 11.05.2025 को मुझे अचानक चिंता हुई कि मैं घर से बाहर निकल गया हूँ मेरे परिवार वाले परेशान हो रहे होंगे इसलिए मैं पुनः अपनी मर्जी से जमनिया से ट्रेन पकड़कर वापस बक्सर आया और बक्सर से आटों पकड़कर बलिया आया। बलिया से मैं नारायण पाली थाना गड़वार क्षेत्र में आया जहाँ पर मैं अपने कई परिचितों से मिला उनमें से कुछ परिचितों ने बताया कि आपके घर वालों ने अपहरण का मुकदमा थाना सुखपुरा पर लिखवाया है आप पुलिस के समक्ष उपस्थित होकर अपनी पूरी बात बताईये तो मैं दिनांक 12.05.2025 को पैदल ही सायं काल के समय पुलिस कार्यालय बलिया में उपस्थित होकर अपनी बात बताया कि मैं अपनी मर्जी से गया था मेरा किसी के द्वारा अपहरण नहीं किया गया था। इस क्रम में सुखपुरा थाना पुलिस टीम द्वारा गुम हुए अजय तिवारी की सकुशल बरामदगी/वापसी के तथ्यों का साक्ष्यों के क्रम में मिलान कराया जा रहा है। अन्य विधिक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है।

संबंधित अभियोग-

1.मु0अ0सं0- 111/2025 धारा 191(2), 191(3), 115(2), 351(3), 140(3) बी.एन.एस.थाना सुखपुरा जनपद बलिया

बरामदगी-

1.अपहृत सकुशल बरामद

3.थाना सिकन्दरपुर जनपद बलिया पुलिस द्वारा साइबर फ्राड हुये 5000 रुपये वापस कराये ।

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय बलिया श्री ओमवीर सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान् अपर पुलिस अधीक्षक महोदय श्री अनिल कुमार झा के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी सिकन्दरपुर महोदय श्री गौरव शर्मा के कुशल नेतृत्व में थाना सिकन्दरपुर पुलिस को मिली सफलता ।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 13.05.2025 को थाना सिकन्दरपुर प्रभारी निरीक्षक प्रवीण कुमार सिंह के निर्देशन में उ0नि0 श्री ज्ञानप्रकाश तिवारी, कम्प्यूटर आपरेटर राजू यादव, म0आ0 कीर्ति मय पुलिस टीम द्वारा आवेदक अभिषेक शर्मा निवासी जलालीपुर थाना सिकन्दरपुर का साइबर फ्राड हुये 5000 रुपये वापस कराये गये ।

4.थाना नगरा जनपद बलिया पुलिस द्वारा न्यायालय सी.जे.एम. बलिया द्वारा निर्गत N.B.W. / वारण्ट के क्रम में 01 नफर वारन्टी अभियुक्त गिरफ्तार ।

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय बलिया श्री ओमवीर सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान् अपर पुलिस अधीक्षक महोदय (उत्तरी) श्री अनिल कुमार झाँ के सफल पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी रसड़ा महोदय आलोक कुमार गुप्ता व थानाध्यक्ष कौशल पाठक थाना नगरा बलिया के कुशल निर्देशन में आज दिनांक 13.07.2025 को 01 नफर वारन्टी अभियुक्त की गिरफ्तारी की गयी । गिरफ्तारशुदा वारन्टी को मा0 न्यायालय रवाना किया गया ।

विवरण गिरफ्तार वारण्टी ---

- एसटी नं0 1556/2024 धारा 323,504,506 भादवि 3(1)द,3(1)ध,3(2)(VA) एसी/एसटी एक्ट थाना नगरा बलिया
- 1. रामजी सिंह पुत्र बासदेव सिंह सा0 विसुनपुरा थाना नगरा जनपद बलिया उम्र 33 वर्ष।